APP-A
Crim-I

FORM No .III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बअदालत सहायक कलेक्टर मुकाम आहोर

राजस्थान राज्य जरिये अभियोगी तहसीलदार आहोर बनाम नन्दलाल पुत्र शिवभगवान तायल जाति अग्रवाल नि॰ हाउसिंग बोर्ड हनुमानगढ़ जंक्शन

किस्म मुकदमा U/S 177 R.T. Act नं. 80/14 तह० हनुमानगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-8-14	वादी द्वारा विरुद्ध प्रतिवादी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 R.T. Act के तहत पेश किया गया है। अतः दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली आदेशार्थ दिनांक 20-10-14 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (एस॰डी॰ओ॰) आहोर (जिला–जालोर)	
20-10-14	वादी की ओर से राज पैरोकार हाजिर। प्रतिवादी की तलबी हेतु राज पैरोकार सम्मन मय नकल पेश करे। सम्मन जारी होकर पत्रावली आदेशार्थ दिनांक 1-12-14 को पेश हो। [signature]	[signature] 1-12-14
1-12-14	~~वकालतनामा [illegible] हाजिर।~~ वादी राज पैरोकार प्रतिवादी की तलबी हेतु [illegible] मय [illegible] हेतु [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली आदेशार्थ दिनांक 29-1-15 को पेश हो। [signature]	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-11-19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को पक्षकार संयोजित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके जवाब में शपथपत्र द्वारा मौखिक बहस की गई और बताया कि बैंक द्वारा 3 मत आराजी बे-बाक कर दी गई तथा सम्पूर्ण राशि नीलामी हेतु चुकता कर दी गई जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री दस्तावेज की फोटोप्रति से सिद्ध होती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। बहस पर मनन किया। अतः बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रतिवादी संयोजित करने के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। शपथपत्र द्वारा अंकित पूर्व में दी गई जांच रिपोर्ट को प्रमाणित करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी गैरहाजिर अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बाद पत्रावली अंतिम बहस हेतु दिनांक 25-11-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25-11-19	पत्रावली आज पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अनुपस्थित। अतः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27-11-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27-11-19	पत्रावली आज पेश हुई। निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर, जिला जालोर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रशान्त शर्मा RAS

अज अदालतः–सहायक कलेक्टर मुकामः–आहोर

व इजलासः–

प्रकरण संख्या : 80/2014

अनवान

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर जिला जालोर

.........वादी

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र श्री शिवभगवान तायल जाति अग्रवाल, निवासी हाऊसिंग बोर्ड हनुमानगढ, जक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.)
2. M/S Balaji Sollar Energy, Shop No. 658, New Grain Market Hanumangarh जरिये अधिकृत भागीदार श्री सतीश बंसल पुत्र श्री तेजभान, जाति अग्रवाल (बंसल) निवासी नई आबादी गली नम्बर 8 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ

............प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांकः–27.11.19**

वादी की ओर से दिनांक 22.08.14 को पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी नन्दलाल को मौजा बादनवाडी के ख.नं. 516/772 रकबा 2.35 हैक्टर की भूमि में प्रतिवादी नन्दलाल द्वारा उपर्युक्त भूमि की किस्म परिवर्तन करवाये बिना कृषि प्रयोजनार्थ से भिन्न अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लाने पर प्रतिवादी नन्दलाल को उपर्युक्त खसरा नम्बर की आराजी से अहितकर कार्य करने के आधार पर बेदखल करने का आदेश फरमावें। तहसीलदार आहोर द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न हैः–

1. नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पटवार हल्का प्रार्थना पत्र एवं मौका फर्द मय नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति।

उक्त आराजी के संदर्भ में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पटवारी पटवार हल्का बादनवाडी द्वारा पेश संलग्न पत्र में श्री नन्दलाल पुत्र शिवनारायण जाति अग्रवाल निवासी हनुमानगढ द्वारा स्वयं की खातेदार मौजा बादनवाडी के ख.नं. 516/772 रकबा 2.35 हैक्टर कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना बताया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 22.08.14 को दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी सं. 1 को जरिए नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया। दिनांक 08.06.2016 को तामिल हेतु नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। इस दरमियान प्रतिवादी सं 1 की उक्त कृषि भूमि बैंक आफ बडौदा के जरिए प्रतिवादी सं 2 को विक्रय कर दी गई। दिनांक 16.02.17 को प्रतिवादी सं 2 की ओर से पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 1(10) सी.पी.सी. के तहत पक्षकार संयोजित करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर दिनांक 27.02.17 को प्रतिवादी सं 2

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

रूप में सम्मिलित कर जवाब दावा पेश करने का आदेश दिया गया। दिनांक 16.02.17 को जरिये वकील श्री गोपाल जीनगर द्वारा प्रतिवादी सं 2 की ओर से वकालत नामा पेश किया गया। दिनांक 20.03.17 को प्रतिवादी सं 2 की ओर से संशोधित टाईटल व जवाब दावा पेश किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दिनांक 21.12.17 को जवाब दावों के अभिकथनों के आधार पर तनकीयत कायम की गईः–

तनकीयत सं 1 के अनुसार प्रतिवादी द्वारा ग्राम मौजा बादनवाडी के ख. नं. 516/772 रकबा 2.35 है. पर कृषि से अकृषि उपयोग किये जाने से अहितकर कार्य के आधार पर वादी बेदखल करवाने के अधिकारी है......इस तनकीयत के प्रमाण में दिनांक 10.06.19 को तहसीलदार आहोर से शहादत हेतु जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उक्त शहादत के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न हैः–

1. नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पटवार हल्का रिपोर्ट (मौका फर्द) मय नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति।
3. मौके का फोटोग्राफ।

उक्त आराजी के संदर्भ में दिनांक 14.02.2019 को पटवारी पटवार हल्का बादनवाडी द्वारा पेश मौका फर्द में नन्दलाल पुत्र शिवभगवान तायल कौम अग्रवाल निवासी हाऊसिंग बोर्ड हनुमानगढ जक्शन तह व जिला हनुमानगढ के खसरा सं. 516/772 की उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा तथा पश्चिम दिशा में लगभग 6 फीट उंची पक्की दिवार तथा खसरे के बीच में सीमेंट से बने पक्के चबूतरे तथा चबूतरों के चारों तरफ रास्ते के रूप में खाली जगह होना बताया गया।

तनकीयत सं 2 के अनुसार वादग्रस्त आराजी बैंक आफ बडौदा शाखा हनुमानगढ के नाम रहन होने के दौरान प्रतिवादी द्वारा कोई गैर कृषि कार्य नही किया जा रहा था। इसके कारण दावा पोषणीय नही होने से खारिज योग्य बताया गया......उक्त तनकीयत के साक्ष्य हेतु किसी प्रकार कोई भी प्रमाण प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया अपितु प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बिंत करने हेतु बैंक आफ बडौदा को भी पक्षकार संयोजित करने हेतु दिनांक 12.06.19 प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया । उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

दिनांक 18.11.19 को इस न्यायालय द्वारा बैंक आफ बडौदा को पक्षकार संयोजित करना अनावश्यक प्रतीत होने से खारिज किया गया। प्रतिवादीगण गैर हाजिर रहे तथा शहादत का कोई विरोध नहीं किया गया। पूरी बहस सुनने के बाद तनकीयत सं 1 सही सिद्ध होती है। अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। दिनांक 25.11.19 को पत्रावली पेश होने पर वादी पक्ष की बहस सुनी गई। प्रतिवादी पुनः अनुपस्थित रहा।

कई बार समय देने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित न होने एवं अपने दावे के पक्ष में कोई प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में यह न्यायालय आज दिनांक 27.11.19 निम्नलिखित निर्णय पर पहुंची है–

आदेश

वादी के वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा. का. अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। वादी के आवेदन मे स्पष्ट इंगित किया गया है कि प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी जमीन पर ऐसे कार्य, व्यापार अथवा उपयोग को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है जो जोत की भूमि के लिए अहितकर है और साथ ही साथ जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन हुआ था उससे असंगत है। अतः न्यायालय सम्पूर्ण प्रकरण को सुनने के बाद वादी के पक्ष में आदेश करने हेतु पूर्णतः सक्षम है। खातेदार द्वारा काश्त करने के प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि का उपयोग गैर काश्त हेतु किया गया है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर, जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

अतः प्रतिवादीगण को उक्त आराजी कृषि भूमि से बेदखल कर खातेदार का नाम राजस्व अभिलेख से हटाकर उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया जाता है। धारा 178(2) रा. का. अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत यदि प्रतिवादीगण द्वारा एक माह के भीतर नुकसान की पूर्ति कर दी जावे या निम्नानुसार सम्पूर्ण संपरिवर्तन शुल्क राज्य सरकार को अदा कर दी जावे तो उक्त आदेश या डिक्री का निष्पादन नही किया जावें। तहसीलदार आहोर को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना करा रिपोर्ट 45(पैतालीस) दिवस में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करें। तदनुसार डिकी पर्चा जारी किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.19 को मेरे द्वारा लिखा जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलेक्टर
आहोर
आहोर जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः–**सहायक कलेक्टर** मुकामः–आहोर

व इजलासः–

प्रकरण संख्या : 80 / 2014

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर जिला जालोर

.........वादी

1. नन्दलाल पुत्र श्री शिवभगवान तायल जाति अग्रवाल, निवासी हाऊसिंग बोर्ड हनुमानगढ, जक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.)
2. M/S Balaji Sollar Energy, Shop No. 658 New Grain Market Hanumangarh जरिये अधिकृत भागीदार श्री सतीश बंसल पुत्र श्री तेजभान जाति अग्रवाल(बंसल) निवासी नई आबादी गली नम्बर 8 हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ

...........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 रा. का. अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। वादी के आवेदन मे स्पष्ट इंगित किया गया है कि अभिधारी अपनी खातेदारी जमीन पर ऐसे कार्य, व्यापार अथवा उपयोग को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है जो जोत की भूमि के लिए अहितकर है और साथ ही साथ जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन हुआ था उससे असंगत है। अतः न्यायालय सम्पूर्ण प्रकरण को सुनने के बाद वादी के पक्ष में आदेश करने हेतु पूर्णतः सक्षम है। अतः डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण को उक्त आराजी कृषि भूमि से बेदखल कर खातेदार का नाम राजस्व अभिलेख से हटाकर उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज किया जाता है। प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर पूर्ण जमीन(खातेदारी) को सिवायचक घोषित करने का आदेश जारी किया जाता है।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में डिक्री आज दिनांक 27.11.19 को जारी की गई।

मोहर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर जिला–जालोर (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	आ.	पा.	प्रतिवादी	रूपये	आ.	पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	–	–	–	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	–	–	–
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	–	–	2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	–	–
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	–	–	–	3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	–	–	–
4. ....रूपये परप्लीडर की फीस	–	–	–	4. ....रूपये परप्लीडर की फीस	–	–	–
5. साक्ष्यों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	–	5. साक्ष्यों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	–
6. कमिश्नर फीस	–	–	–	6. कमिश्नर फीस	–	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–	–	7. आदेशिका की तामील	–	–	–
योग	–	–	–	–	–	–	–

प्रतिलिपिः– तहसीलदार आहोर को पालनार्थ

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
आहोर जिला–जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner